

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा**  
**(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)**

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 23/2023 अपील सू.प्र.

**उनवान**

प्रेमदास वैष्णव पुत्र केशूदास वैष्णव बनाम प्रभारी अधिकारी (विधि अनुभाग) एवं  
निवासी दांतड़ा तहसील आसीन्द जिला लोक सूचना अधिकारी एवं अति०  
भीलवाड़ा जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**



उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

**निर्णय**

दिनांक : 21.07.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी (विधि अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा के विरुद्ध प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- ₹0 का पोस्टल ऑर्डर संख्या 60 एफ 549424 के साथ एक आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया। उक्त आवेदन पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी (विधि अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी (विधि अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा को अंतरित कर दिया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.05.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी प्रभारी अधिकारी (विधि अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 96048 दिनांक 09.06.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना/जवाब विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्रांक 96047 दिनांक 26.05.2023 द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये डाक प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना/जवाब उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलेट अधिकारी  
भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा